फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 07.05.2024

थाना शमसाबाद/सर्विलांस/एसओजी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 86/2024 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण कर 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद/सर्विलांस/एसओजी पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2024 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.राहुल गंगवार पुत्र सोहबरन सिंह निवासी रोशनाबाद थाना शमसाबाद, 2.बाल अपचारी को दिनांक 07.05.2024 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. राहुल गंगवार पुत्र सोहबरन सिंह निवासी ग्राम रोशनाबाद थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. बाल अपचारी

संक्षिप्त विवरण:- दिनाँक 05.05.2024 को थाना हाजा पर सूचना प्राप्त हुयी कि अजरुद्दीन निवास ग्राम सुतहड़ी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ जो विकलांग है, जन सेवा केन्द्र चलाता है का शव प्लास्टिक के बोरे में अद्दूपुर जाने वाले रास्ते पर मक्का के खेत में एवं उसकी रिक्शा हजियापुर के पास मिला। मृतक के पिता वादी श्री अक्षर अली पुत्र बाबूखाँ निवासी उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचना के क्रम में दिनाँक 07.05.2024 अभियुक्त **1**. राहुल गंगवार पुत्र सोहबरन सिंह निवासी ग्राम रोशनाबाद थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ 2.बाल अपचारी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मैं सियाराम फिलिंग स्टेशन रोशनाबाद पर मैनेजर की नौकरी करता हूँ, मैं और मेरा साथी आईपीएल सट्टे में काफी पैसा हार गये थे । मुझे व मेरे साथी को पैसे की आवश्यकता थी, तो मैंने प्लान के तहत दिनांक 14.04.2024 को मालिक के शादी के प्रोग्राम में उनके ड्राइवर अनिल पुत्र धनीराम निवासी ग्राम चंदामहमदपुर थाना अरवल जनपद हरदोई हाल पता कादरीगेट, मो0नं0 7268002588 का कीपैड मोबाइल लेकर उसके नम्बर से अपने मोबाइल में वाट्सएप चालू कर लिया था और उसी से मैं अजरुद्दीन से पैसा अपने खाते में ऑनलाइन ट्रान्सफर कराता था और वापस कर देता था। अजरुद्दीन की जनसेवा केन्द्र की दुकान मेरे घर के पास में ही थी इसलिये वह मुझे अच्छी तरह जानता पहचानता था । अजरुद्दीन को मैंने विश्वास में ले लिया था । मैंने प्लानिग के तहत पैट्रोल पम्प के सीसीटीवी कैमरे पहले ही खराब कर दिये थे और अपने साथी को फोन पर बुला लिया था । मैंने अजरुद्दीन से वाट्सएप कॉल व चैट करके अपने खाते में दिनाँक 03.05.2024 को 95000 रुपये अपने खाते एक्सीस बैंक 922020055813144 में ऑनलाइन डलवाये थे और प्लानिंग के तहत दिनाँक 04.05.2024 को 98999 रुपये अपने दूसरे खाता नं0 110172686124 कैनरा बैंक में तथा 99000 रुपये अपने एक्सीस बैंक 922020055813144 में ऑनलाइन डलवाये थे । वाट्सएप कॉल व चैट के माध्यम से सारी वार्ता हुइ थी । पैसे डलवाने के बाद मैंने व मेरे साथी ने अजरुद्दीन को पैसे लेने के लिए सियाराम फिलिंग स्टेशन पर बुलवाया था, वह अपनी ई-रिक्शा (स्वचालित विकलांग वाली) से आया था । प्लान के मुताबिक हमने उसे फिलिंग स्टेशन के ऑफिस में बैठाकर सैल्समैन संदीप कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम चिलसरा थाना शमसाबाद को कोल्ड्रिंक लेने के लिए रोशनाबाद भेज दिया था और ऑफिस का गेट अन्दर से बन्द करके मैंने व मेरे साथी ने विकलांग अजरुद्दीन को कमरे में बने बाथरूम में ले जाकर रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी थी और अजरुद्दीन का मोबाइल लेकर रिसेट कर दिया था, जिससे

उसके मोबाइल की सारी डिटेल / डाटा डिलीट हो गया था और पीछे स्टोर से प्लास्टिक के दो बोरे लाकर अजरुद्दीन के शव को बोरों में बन्द कर स्टोर में रख दिया था और उसकी ई-रिक्शा भी स्टोर में छुपा दी थी और कुछ देर बाद सैल्समैन संदीप कोल्ड्रिंक लेकर आया तो हम दोनों उसे कमरे में बैठे मिले । संदीप कोल्ड्रिंग देकर ग्राहको के वाहनों में पैट्रोल डीजल डालने लगा था । फिर हम दोनों ने कोल्ड्रिंक पीने के बाद संदीप की मोटर साईकिल जिसमें पहले से ही चाबी लगी हुई थी, को स्टोर के सामने खड़ा कर प्लास्टिक के बोरों में रखे अजरुद्दीन के शव को इसी मोटर साईकिल पर रखकर और मेरा साथी पीछे शव को पकड़ कर बैठ गया और हम लोग चल दिये तभी संदीप सैल्समैन ने पूछा कहाँ जा रहे हो तो हम दोनों ने बताया कि थ्रेशर से गेहूँ की खंदाई हो रही है वहीं बोरा देने जा रहे हैं और हम चले आये । हजियापुर चौराहे से नबावगंज रास्ते के दाहिने नहर के कच्चे रास्ते ग्राम अद्दूपुर से फैजबाग की तरफ मौका देखकर एक मक्का के खेत में हम दोनों ने प्लास्टिक के बोरों में बन्द अजरूद्दीन के शव को समय करीब 07.00 बजे शाम को फैककर वहीं उसके दोनों जूते फैक दिये तथा मोबाइल ऑन कर व गला कसने वाली रस्सी को मक्का के खेत में अन्दर की तरफ फैंक दिया । फिर हम लोग सियाराम फिलिंग स्टेशन पर आ गये थे और मेरा साथी अपने घर चला गया था । सैल्समैन संदीप के सो जाने के बाद रात्रि में समय करीब 10 -11 बजे के बीच मैंने अजरुद्दीन का ई-रिक्शा स्टोर से निकालकर पास में ही बन्द पड़े भट्टे की बंजर जमीन की झाड़ियों की तरफ छुपा कर आ गया था । दिनाँक 05.05.2024 को अजरुद्दीन का शव मिलने पर पुलिस द्वारा सियाराम फिलिंग स्टेशन पर आकर सीसीटीवी कैमरे चैक करने के लिए कहा तो मेरे द्वारा बताया गया कि कैमरे खराब हैं ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 रस्सी आलाकत्ल
2. 01 मोबाइल मृतक
3. 02 मोबाइल अभियुक्त
4. 01 लैपटाप मृतक
5. मृतक द्वारा अभियुक्त राहुल के खाते मे डाले गये 2,95000 रु का स्टेटमेंट

अभियुक्त राहुल गंगवार का आपराधिक इतिहास –

6. मु0अ0सं0 86/2024 धारा 302/201 भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त बाल अपचारी का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 86/2024 धारा 302/201 भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 लछिमन सिंह
3. हे0का0 बऊरी सिंह
4. का0 विकास कुमार
5. का0 मोहन लाल
6. का0 सुमित कुमार

सर्विलांस टीम:-

1. उ0नि0 विशेष कुमार प्रभारी सर्विलांस
2. हे0का0 करन यादव
3. हे0का0 संदीप राव
4. हे0का0 अनुराग कुमार
5. हे0का0 अजय सिंह

एसओजी टीम :-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह पटेल एसओजी प्रभारी
2. हे0का0 गजराज सिंह
3. हे0का0 बलवीर सिंह
4. का विकास चन्द्र
5. का0 दिव्यांशु
6. का0 प्रिंस युवराज

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रूखाबाद

दि0-06.05.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त महेश चन्द्र पुत्र सुखवासी लाल निवासी बछौआ कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-494/1990 वाद स0- 21/1990 धारा- 279,304 IPC कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 06.05.2024 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभि0 को दोषसिध्द कर जेल में बिताई गयी अवधि व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एपीओ- श्री चन्द्रेश कुमार

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 कुन्दन कुमार

पैरोकार का0 रोहित कुमार

Jahan Ganj, Uttar Pradesh, India
7H33+6MX, Jahan Ganj, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India
Lat 27.252982°
Long 79.554166°
07/05/24 10:15 AM GMT +05:30

Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
01, Ghumna Bazar, Manhari, Farrukhabad, Uttar Pradesh 209625,
Lat 27.389728°
Long 79.583518°
07/05/24 10:30 AM GMT +05:30

राजेश
गारमेंट्स
BCA MCA
GPS Map Camera
Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
Farrukhabad - chowk bartan bazar, Dilli Khyali Kuncha, Bhikampura, Farrukhabad, Uttar Pradesh 209625, India
Lat 27.391415°
Long 79.579305°
06/05/24 07:49 PM GMT +05:30
Google